कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत सत्यनारायण शर्मा व्याख्याता गणित का स्थानान्तरण राउमावि फतेहटीबा, जयपुर से राउमावि बावलवाड़ा खैरवाड़ा, उदयपुर एवं राकेश कुमार रैगर, व्याख्याता गणित का राउमावि पारसोली, बेगू, चित्तौड़गढ से राउमावि फतेहटीबा, जयपुर किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्व सत्यनारायण शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एसबीसि याचिका संख्या 20618/2019 सत्यनारायण शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

एसबीसि याचिका संख्या 20618/2019 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी सत्यनारायण शर्मा के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सत्यनारायण शर्मा माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राउमावि फतेहटीबा, जयपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थापित रहेंगें एवं उनके स्थान पर स्थानांतरित राकेश कुमार रैगर व्याख्याता गणित को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर में आगामी आदेश तक दी जानी सुनिश्चित करें।

(हिमांशु गुप्ता) 23/12
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–3/एसबीसियासं 20618/सत्यनारायण/19–20 दिनांकः– 23/12/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.............................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा जयपुर
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर